

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या-06-परीक्षा/2022

वन दरोगा मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/06

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि - 17-10-2022

ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सवमिट करने की अंतिम तिथि - 06-11-2022

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि - 13-11-2022

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सवमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 06-11-2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 06-11-2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 13-11-2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-06-परीक्षा/2022, वन दरोगा मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/06 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव विभाग, उ०प्र० के निर्वहणाधीन वन दरोगा के 701 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

वन दरोगा मुख्य परीक्षा-(प्रा0अ0प0-2021)/06 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 (Preliminary Eligibility Test- PET-2021) में मगिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (टैप संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइस्ट स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपचारिक (Provisical) त्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन त्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपचारिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना- इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भाँति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upscse.gov.in के Homepage पर Live Advertisement Segment के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को Download/View कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भाँति समझ लें।

आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश

2.1- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test PET-2021) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

- I. **व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)-** अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं।
- II. **ओटीपी के माध्यम से (Through O.T.P.)-** अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन नंबर व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

2.2 आवेदन (Application)-

- I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, ऐतिहासिक आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।
नोट- जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23) हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 13.24 का अवलोकन करें)।
- II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संकेत में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि तथा प्रासंगिक संबंधी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।

5

Signature

8

1

- III. अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक विवरण में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (सैद्धांतिक) पढ़ लें तथा योग्यता धारित करने की स्थिति में ही आवेदन करें।
- IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं पढ़ने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर "Enter Verification Code" में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात "सबमिट" बटन पर क्लिक करना होगा। फार्म सफाई लेते ही "अभ्यर्थी का आवेदन पत्र" प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कगर्गों हेतु किया जाएगा।

2.3 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature):- इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन करना परिलक्षित नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के तत्पश्चात "Continue" बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे।

2.4 अन्य विवरण (Other Details):- इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबंध में Yes/ No विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी न पता नया पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा। इसके तत्पश्चात अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरिफिकेशन कोड को दर्ज कर Save & Proceed करें।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में दर्ज निगरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबंधी अभिज्ञ की गयी समस्त प्रविष्टियों/ विवरणों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहनते की दशा में अभ्यर्थी द्वारा Proceed to Payment of Fee & Final Submission पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

2.5- फीस का भुगतान एवं समावोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-बालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये टक्कल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का सफल भुगतान होते ही Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate होगी जिसमें Payment का विवरण अभिज्ञ होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ Print बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी Payment Acknowledgment Receipt (PAR) को प्रिंट कर सकता है। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ Proceed To Download and Print The Application Form बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit कर सकता है तथा उसका एक Printout भी ले सकता है।

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा Credit card/Debit card, Internet Banking द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समावोजन न हो जाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा

4/11

Omura

8

1/11

होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें।

III- ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

IV- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि दिहावन की अंतिम तिथि तक अवकाश उत्तरे एक त्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।

V- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Fee Deposition पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से नेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

VI- अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VII- अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी Applicant Segment के अंतर्गत Update Your Transaction ID By Double Verification Mode के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

VIII - अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर सकेंगे।

IX. आवेदन शुल्क - अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये जाने की दशा में शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा।

क्र. सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनादिशत/सामान्य	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अन्य श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।

2.6- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उसका प्रिंट आउट Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के Homepage पर जाकर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए लिंक "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

3- आवेदन पत्र में संशोधन

I. अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गये Applicant's Dashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के सामने प्रदर्शित Modify Application बटन पर क्लिक कर मैडिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) आएगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

- a. नाम में वर्तनी की गलती।
- b. पिता/ पति के नाम में वर्तनी की गलती।
- c. पत्राचार का पता।
- d. अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- F.W.S. एवं श्रैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.T, Ex. Service Man, P.H., उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।
- e. जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।
- f. लिंग (जेन्डर)।
- g. आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

III. आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 13-11-2022 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

निम्नलिखित सारणी-1 में विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ज़ेमीनार रिकॉर्डों का विवरण निम्नवत है-

सारिणी-1

[illegible]

- 4.1- उपर्युक्त रिक्त नदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।
- 4.2- आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञान में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताएँ अवश्य पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदित पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं धारित करते हैं तथा उपर्युक्त सारणी में नद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं।
- 4.3- अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं धारित (Acquired) Yes/No करना अनिवार्य है, अन्यथा उत्तर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 4.4- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/राज्यन्यायों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनाश्रित/आश्रित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 4.5- उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

5- शैतिज आरक्षण का विवरण -

उपरोक्त सारणी-1 में दर्शाए गए विषयों के संबंध में विभाग द्वारा संबंधित अंतरिक्ष के अंतर्गत श्रेणीवार रिकॉर्डों का उपयोग किया गया विवरण निम्नवत है -

सारिणी-2

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	छुतिज आग्रहण की श्रेणी		पदों की संख्या
1	एच.एस.एस.डी. विभाग	अन्य पदोक्त	1	एच.एस.एस.डी. के पदोक्त	15
			2	अधीन	100
			3	एच.एस.एस.डी. के पदोक्त	25
			4	अधीन	14
			5	अधीन	100 के विभिन्न पदोक्त

नोट-1- उपर्युक्त सारिणी में श्रेणीवार पदों का वितरण विभाग द्वारा अध्यापित रिक्तियों के अनुसार ही रखा गया है।

नोट-2- क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिसूचना के अनुसार ही किया गया है।

5.1- विभाग द्वारा की गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की गणना उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-18/1/95-आ-2/95, दिनांक- 20-09-1997 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार की गयी है।

5.2- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-आ-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथारसोपलब्ध कर्गिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 39 रिट/का 2/2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विरोध अपील (दी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

5.3- उपर्युक्त सारिणी-1 व 2 में श्रेणीवार पदों की संख्या संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना पर आधारित है।

5.4- अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 के प्राविधानानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों का 02 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.5- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संवन्धी नवीनतम अधिनियमों, अध्यादेशों / शासनादेशों में निर्धारित नोटि- निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

5.6- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

6 -अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-

उपर्युक्त सारिणी-1 में उल्लिखित बन दरोगा के रिक्त पदों पर न्यून के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं (शैक्षिक व अन्य) आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है-

अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-

बन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी आर्यवी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जनस्वस्थि विज्ञान, जन्तु विज्ञान, चानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से दो या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है।

अधिमानी अर्हता-

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

56

57

58

59

7- आयु-सीमा-

चयन प्रयोग के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कर्तव्य वर्ष की, जिसमें लिखित विज्ञापित की जाए, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: उद्गुस्तार आयु गणना की निर्णायक तिथि 01 जुलाई, 2022 है।

प्राप्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, के अभ्यर्थियों की दशा में, उद्गुस्तार आयु सीमा उन्ने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

8- आरक्षण-

8.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के आचार्यिक शिष्टमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधिषाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

8.2- इसी प्रकार शैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों तथा- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आशित / भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी शिष्टमान उ०-उत्तमिष्ठ अभ्यादेश/ अधिनिगम/ शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधिषाचन के अनुसार नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

8.3- आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ पाउने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इन प्रस्तुत विज्ञापन के परिशिष्ट में नुद्धित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जारी प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अध्या विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं यह उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र अनिवार्य में प्रस्तुत करना होगा।

9- चयन का आधार (लिखित परीक्षा)-

विज्ञापित पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-न के पदों के लिए सीधी भर्ती (रैति एवं प्रक्रिया) नियमावली-2015 एवं कार्मिक अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अन्तर-राष्ट्रीय पदों पर सीधी भर्ती (सहायकार का बन्ध किया जाना) नियमावली, 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 तथा 2020 अधीनस्थ नन (उप श्रेणी नन अधिचारी तथा चयन होगा) सेवानियमावली- 2021 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी।

4

Omara

9

✓

10- शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वस्थता परीक्षण-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा वन दरोगा) सेवानिवृत्तियों-2021 के भाग-4 अर्थात् के नियम 13 व नियम 14 के प्राविधानानुसार शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वस्थता परीक्षण निम्नानुसार अपेक्षित है-

शारीरिक मानक नियम 13(1)- सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो।

लिंग	ऊंचाई	सीने का घेरा (पूरा फुलाने पर)	फैलाव
1	2	3	4
पुरुष	163 सेमी0	84 सेमी0	5 सेमी0
महिला	150 सेमी0	79 सेमी0	5 सेमी0

परन्तु यह कि अनुसूचित जनजातियों और गोस्त्रा, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊं की भूतवंश के अभ्यर्थी के मामले में न्यूनतम ऊंचाई मानक निम्न प्रकार होगी-

लिंग	ऊंचाई
1	2
पुरुष	152.5 सेमी0
महिला	145.0 सेमी0

शारीरिक मानक नियम 13(2)- पुरुष अभ्यर्थियों से 04 घण्टों में पूरी की जाने वाली 2.5 किमी. की और महिला अभ्यर्थियों से 04 घण्टों में पूरी की जाने वाली 1.4 किमी. की पैदल चल परीक्षण में अर्द्धांग प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त नियम 13 के अधीन अर्द्धांगरी परीक्षण संचालित किये जाने की व्यवस्था आयोग द्वारा की जाएगी।

शारीरिक स्वस्थता नियम 14 (1)- किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से वुक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का पथ पूर्णक गालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती का नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद के परीक्षण में सफल हो जाये :

शारीरिक स्वस्थता नियम 14 (2)- किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पद जाने पर अस्वीकृति रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। प्रसूति के दिनांक से 06 सप्ताह पश्चात स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा।

52

अधीनस्थ

9

X

11- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर यथासमय गृहक से प्रकाशित किया जाएगा।

12-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

12.1- यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट/ दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों/ दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों/ दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी।

12.2- वन दरोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

13-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

13.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी उचित अंकित करें।

13.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक फूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमत्य होगी।

13.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमत्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

13.04- भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) तथा उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत सेलों के अन्तर्गत सिताही को उक्त श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने हेतु पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्णित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13.05- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमत्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्णित प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमत्य होगा।

13.06- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (सार्वजनिक रूप से दिव्यांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुसूच प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

42

Omara

9

10

- 13.07 - जो अभ्यर्थी केंद्र या उच्च सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवागोष्ठक से अनापति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर कथनिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 13.08- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कर्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-म-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 13.09- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.10- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत पर्यन्त अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 तथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।
- 13.11- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18(1)/95-का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कर्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित हैं, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 13.12- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 13.13-आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंशपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 13.14-परीक्षा की तिथि, समय तथा केंद्रों आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पराचार न करें।
- 13.15-आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 13.16-किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्रुत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 13.17-आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 13.18-कटाव अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कामे, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अशांतिपूर्ण कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

13.19-आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

13.20-आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में बोर्ड परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

13.21- किसी अनाचार/कटाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद संबंधित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

13.22- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में बोर्ड कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा आयोग की वेबसाइट <http://upsac.gov.in> के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

13.23- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं सम्झे जाएंगे, बशर्त कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

13.24- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (खेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की आय रुपये 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत व आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23) हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है।

13.25- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम संचयित किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

13.26- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबंध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

✓

Signature

Signature

Signature

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

दिव्यांगता प्रमाणपत्र सम्बन्धी प्रारूप

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
affixed photograph
(Showing face only)
of the person with
disability.

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined _____ Son/Wife/Daughter of Shri _____
(DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ Date of Birth _____
_____ permanent resident of House No. _____ registration No. _____
_____ Post Office _____ District _____ State _____
whose photograph is affixed above, and am satisfied that

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
 - dwarfism
 - blindness
- (Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (_____ number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____)

Member
Medical Board, with seal

(Dr. _____)

Member
Medical Board, with seal

(Dr. _____)

Chairman
Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person in
whose favour certificate of
disability is issued

Form - III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age
_____ years, male/female _____

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical
impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue
of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the
relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Hemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(18) In the light of the above, his/her overall permanent physical impairment as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows :-

In figures : percent

In words :- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is ;

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following documents as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

Form -IV
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
 attested photograph
 (showing face only) of
 the person with
 disability

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

 Son/Wife/Daughter of Shri

Date of Birth (DD/MM/YY) _____

Age _____ years, male/female _____

Registration No. _____

permanent resident of House No. _____

Ward/Village/Street _____

Post Office _____

District _____

State _____

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of
 disability. His/her extent of percentage physical
 impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the
 guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	(a)		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victims			
6.	Low vision	(b)		
7.	Deaf	(c)		
8.	Hard of Hearing	(d)		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Hemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is ~~progressive/non-progressive~~ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

* - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/Thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued

© 2008 The Authors
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

आ. प्रमाण संख्या (अंतिम बार का प्रयोग में आनेवाला दिनांक) के अनुसार का होना चाहिए.

500 JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY / December 2005

Page 1 of 1

NAME _____

[illegible]

permanente e non si può prevedere con certezza se si realizzerà o meno. In tal caso, il valore di mercato è pari a zero.

[illegible]

姓名: _____ 学号: _____

द्वितीयः खण्डः ॥ अथ राजाधिराजस्य वीरकृत्यानां विवरः ॥ १३४ ॥

電話: 02-2311-1111

© 2004 by Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

(ਅੰਕੜਾ ਆਰ ਕੀਤਾ/ਲਿਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਠ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਿਖੇ)

Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmter Prozess/Prozess, bei dem eine ... von der ... ist ...
Es wird erwartet, dass die ...

१. प्रथम विषय काटो है कि की/पै/करी/पुनर्प्रे अन्तर्गत/पार्श्व/अपेक्षक के प्रत्येक एक एक ..
 २. के स्वरूप के स्वरूप के विचारों के विचारों के
 विचारों के विचारों विचारों के रूप में प्रकटित, स्वरूप में प्रकटित रूप ही
 प्रकट/प्रकट रूप का रूप की प्रकट/प्रकट/प्रकट के स्वरूप की प्रकट में प्रकट प्रकट, प्रकट प्रकट के रूप प्रकट प्रकट/प्रकट/प्रकट
 के प्रकट प्रकट प्रकट प्रकट

[illegible]

DATE _____ TIME _____

Genetic Epidemiology Vol. 19, No. 6, pp. 470–480, 2000
© 2000 Blackwell Science Inc. Printed in the USA
All rights reserved. 0893-3200/00/0019-0470\$10.00+0.00

Date: _____

नाम, माता पिता का पते/पता, जन्मदिन/संख्या या पहचान संख्या, पेशे की जानकारी इस अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई है।

colleges

